न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 13/23

GCMS NO 2023/23

1. बुधराम पुत्र कजोडया
2. मालदास पुत्र कजोडया
3. पुखराज पुत्र टुण्डा जातियान माली निवासीयान बोडान की ढाणी ग्राम नौगांव तहसील तलावडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र बालकिशन जाति माली निवासी गढी मलारना डूँगर तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर हालवासी वोडान की ढाणी नौगांव
2. प्रभू पुत्र मोहनलाल
3. हरि पुत्र मोहनलाल
4. गुल्ली पुत्री कजोडया
5. स्याणी पुत्री कजोडया
6. सीता पुत्री कजोडया
7. धापा पत्नि कजोडया
8. हरभेजी पत्नि टुण्डा जातियान माली निवासीयान वोडान की ढाणी नोगांव तहसील तलावडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 26/22 निर्णय दिनांक 27.1.23 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री इंसाफ अली

दिनांक 03.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 27.1.23 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 4 ता 8 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आरजी हाल ख0न0 550 रकबा 0.18 है0 स्थित ग्राम नौगांव सायलान की सहखातेदारी की एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमे गैरसायलान का कोई संबंध वास्ता नही है। गैरसायलान की नियत भूमि ख0न0 550 के प्रति खराब है। गैर सायल संख्या 1 पडौसी ख0न0 551 मे से 1/2 हिस्से का स्ट्रेन्जर परचेजर होने की आड मे सायलान की भूमि ख0न0 550 रकबा 0.18 है0 पर गैर सायल 2 व 3 के साथ मिलकर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहता है। गैर सायल संख्या 1 ता 3 ने अपने इस नाजायज उद्वेश्य से दिनांक 2.11.22 को ख0न0 550 के पूर्वी हिस्से मे मेटेरियल डालकर दुकानो का निर्माण कराना चाहा तो सायलान द्वारा उक्त कार्य करने से मना किया गया [illegible] लठ्ठ के जौर पर जबरन निर्माण करने पर आमादा हो गये। ऐसी स्थिति मे सायलान [illegible] प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। इस प्रकार गैरसायलान का यह कार्य [illegible] निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजीयात ख0न0 550 रकबा 0.18 है0 स्थित नौगांव [illegible]सी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकार के उपयोग उपभोग मे मजाहमत नही करे ना ही अन्य किसी से करावे। मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायलान संख्या 5 ता 7 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे सर्वप्रथम यह निर्धारण करना होता है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार कौन है। प्राईमाफेसी केस किसके पक्ष मे साबित है तथा शेष अस्थाई निषेधाज्ञा के दोनो बिन्दुओ अपूर्णनीय क्षति व सुविधा का संतुलन किस पक्षकार के पक्ष मे साबित है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई प्रार्थना पत्र के उक्त तीनो बिन्दुओ की विवेचना नही कर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित कर दिया। जबकि माननीय राजस्व मंडल द्वारा कई नजीरो मे स्पष्ट किया है कि खातेदार काश्तकार को पूर्ण कानूनी हक हासिल है कि वह खातेदार के कब्जे काश्त मे किसी पक्षकार द्वारा मजाहमत पैदा करने पर उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा सकता है। उक्त तथ्य पर गौर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट है कि उनके द्वारा 212 आर टी एक्ट के बिन्दुओ की सही विवेचना नही की है बिना साक्ष्य लिये ही निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वार रिकार्ड के विपरीत जाकर गैरसायलान का कब्जा माना है। जबकि 40 सौ वर्षो से राजस्व रिकार्ड मे सायलान के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय न्यायिक निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। उक्त निर्णय जल्दबाजी मे बिना न्यायिक विवेक के पारित किया है इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने सायल का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है तथा गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत काउन्टर टी आई प्रार्थना पत्र को भी खारिज किया है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है ना ही गैर सायलान की काउन्टर टी आई को स्वीकार किया है। जबकि उभयपक्ष के कब्जे की स्थिति के निष्कर्ष पर नही पहुँचने पर वाद मे वर्णित आराजी की रक्षार्थ उभयपक्ष को यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करना चाहिए था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय सरसरी तौर पर जल्दबाजी मे पारित किया है। जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। सायलान उक्त आराजीयात पर शुरू से ही काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात से दीगर व्यक्तियो का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। सायलान को पूर्ण हक है कि वे अपनी आराजी को तथा उस पर स्थित सायलान के कब्जे काश्त की रक्षार्थ बाबत गैरसायलान को को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। [illegible] रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतःअपीलांट की अपील [illegible] जाकर रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा[illegible] 0.18 है0 वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

नौगांव तहसील तलावडा मे सायलान के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे। किसी प्रकार का निर्माण नही करे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ख0न0 550 साबिक ख0न0 138 मोहनलाल गैरसायल संख्या 2 व 3 के पिता की खातेदारी की भूमि है। प्रभू ने रेस्पो0 संख्या 1 विजेन्द्र को गोद लिया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से हाल ख0न0 550 को कजोड ,टुण्डा पुत्रान शंकर के नाम दर्ज कर दिया है। जबकि उक्त भूमि प्रभू व हरि के पिता मोहनलाल की खातेदारी की भूमि है। जिसमे रेस्पो0 का कुआ खुदा हुआ है। दो पुख्ता दुकाने बनी हुई है। दासाबंदी हो रही है तथा दो पुख्ता मकान बने हुए है। सेटलमेट विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज की आड मे अपीलांट उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से भूमि को सिवायचक दर्ज कर गलत रूप से कजोड व टुण्डा के नाम आवंटन कर दिया। जिसकी दुरूस्ती कराने का अधिकार गैरसायलान को प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त ही सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के अनुरूप ही खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात पर सायल का कब्जा नही माना है जो सही है क्योकि विवादित आराजीयात पर रेस्पो0 के मकानात बने हुए है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के अनुरूप होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 550 रकबा 0.18 है0 को अपीलांट/सायलान द्वारा सहखातेदारी की आराजीयात माना है। तथा ख0न0 551 मे से 1/2 हिस्से का रेस्पो0 संख्या 1 को स्ट्रेन्जर परचेजर माना गया है। अपीलांट का कथन रहा कि पडोसी खातेदार होने के कारण अपीलांट की खातेदारी पर नाजायज रूप से निर्माण किया जा रहा है। इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। जबकि रेस्पो0 का कथन रहा कि विवादित आराजीयात का खातेदार मोहनला गैरसालय संख्या 2 व 3 के पिता की खातेदारी की रही है। जिसे सेटलमेट विभाग द्वारा गलत रूप से कजोड ,टुण्डा पुत्र शंकर के नाम दर्ज कर दी है। विवादित आराजीयात के बाबत दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचारधीन होना उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त आराजीयात को अपीलांट अपनी बताता है तथा रेस्पो0 अपनी बताता है। दोनो पक्ष उक्त आराजीयात को अपनी होने का दावा करते है। आराजीयात के हक एवं अधिकार दावे मे तय होगे। इस प्रकार उभयपक्ष के बीच आपस मे विवाद उत्पन्न नही हो वाद वाहुलता नही बढे इस कारण उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 26/22 निर्णय दिनांक 27.1.2023 को अपास्त किया जाता है। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि दावे के निस्तारण तक आराजी ख0न0 550 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम नौगांव तहसील तलावडा जिला सवाई माधोपुर के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का निर्माण नही करे।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner